राजस्थान राज्य सूचना आयोग

G.S.T.IN-08JPRR04309EID9

ओ0 टी0 एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड, जयपुर –302017

(फोन नं 0141–2719136)

क्रमांकः– प. 6() रा.सू.आ./लेखा/एमसी/2022/569 दिनांक 11-2-02022

:: बोली सूचना संख्या – 3 /2022–23 ::

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नाकिंत कार्य हेतु एक वर्ष की दर संविदा के लिये मोहरबन्द निविदायें दिनांक 24.02.2022 तक आमन्त्रित की जाती है।

क्र. स.	कार्य /आपूर्ति का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र बेचने की प्रारम्भ तिथी	निविदा बेचने के अंतिम तिथि	निविदा प्राप्त करने व खोलने की तिथि
1.	राजस्थान राज्य सूचना आयोग भवन में उपलब्ध कम्प्यूटर, प्रिन्टर व LAN की ए.एम.सी. कार्य एवम उनके उपयोग में आने वाले स्पेयर पार्ट की संविदा दर पर आपूर्ति करने हेतु।	1.00 लाख रुपये	2000/– अथवा राज्य सरकार के निर्देशानुसार रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर डिक्लेरेशन दी जा सकती है ।	16.02.2021	24.02.2022 अपराह् 12:00 बजे तक	24.02.2022 प्रतिनिधियों के समक्ष अपराह् 3:00 बजे

नोटः–

1. निविदा प्रपत्र राजस्थान राज्य सूचना आयोग कार्यालय में लेखा शाखा से रुपये राशि 100/– कार्यालय में जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं
2. निविदा से संबंधित अन्य शर्ते कार्यालय में कार्यालय समय में एवं आयोग की वेवसाइट Ric.rajasthan.gov.in व विभागिय वेबसाइट http://sppp.rajasthan .gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।
3. निविदा प्राप्त करने की तिथि को राजकीय अवकाश रहता है, तो निविदायें अगले कार्य दिवस को प्राप्त की जावेगी।
4. UBN-

सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

राजस्थान राज्य सूचना आयोगG.S.T.IN-08JPRR04309E1D9

ओ0 टी0 एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड, जयपुर –302017

(फोन नं 0141–2719136)

आयोग के कम्प्यूटर्स एवं प्रिन्टर्स के वार्षिक रख–रखाव हेतु अनुबंध की शर्त :–

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बिड पंजीकृत फर्म /कम्पनी /संस्था/ सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहीए इसका प्रमाणिक अभिलेख बिड के साथ संलग्न करना होगा।

2.बोलीदाता की फर्म का वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होना आवश्यक हैं तथा बोली दाता का कार्यालय जयपुर में होना चाहिए।

3.बोलीदाता फर्म की स्थिति में उक्त बिड प्रस्तुत किये जाने की स्थितिमें फर्म के प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा साझेदारों की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत करने की स्थिति पॉवर ऑफ अटोनीं प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बिड स्वीकृति के पश्चात् बोलीदाता के संविधान में कोई परिवर्तन बोलीदाता के पूर्व सदस्यों के अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नही करें तब तक कोई नया साझेदार स्वीकार नहीं किया जावेगा।

4.बोलीदाता कम्पनी/फर्म/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा ही बिड भरी जावेंगी। प्रधिकृत प्रतिनिधि को अपना अधिकृत पत्र बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5.बोलीदाता का प्रतिनिधि/इन्जीनियर को बुलाये जाने पर 24 घन्टें में अपनी सेंवाएं देनी होगी। निर्धारित अवधि में सेवाएं नही देने पर निम्नानुसार पैनल्टी की वसूली बिल की राशि में से की जायेगी :–

अ. निर्धारित अवधी से 1/4 अवधि तक विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

ब. निर्धारित अवधी से 1/2 अवधि तक विलम्ब के लिए 5 प्रतिशत

स. निर्धारित अवधी से 3/4 अवधि तक विलम्ब के लिए 7.5 प्रतिशत

द. निर्धारित अवधी से तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 10 प्रतिशत

6. बोलीदाता द्वारा बिड में दी गई दरें अनुबंध की अवधि की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी। बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध का निष्पादन 500/–(अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा। बोलीदाता का कार्य संतोषजनक रहने पर अनुबन्ध अवधि तीन माह के लिए आपसी लिखित सहमति सें बढाई जा सकेगी। आयोग द्वारा बोलीदाता का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध का अनुपात अवधि के दौरान ही समाप्त किया जाता है, तो बोलीदाता की जमा धरोहर राशि आयोग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

हमें उक्त एवं संलग्न शर्ते मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(मय नाम,सीील एवं मो0 न0 सहित)

राजस्थान राज्य सूचना आयोगG.S.T.IN-08JPRR04309E1D9

ओ0 टी0 एस0 परिसर के .पीछे, झालाना लिंक रोड, जयपुर –302017
(फोन नं 0141–2719136)

7. बोलीदाता द्वारा पुराने पार्टस बदलने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा बिल को प्रमाणित करते समय यह आवश्यक रुप से अंकित किया जावेगा कि "पुराने /अनुपयोगी कन्जुमेबल पार्टस को बोलीदाता से प्राप्त कर लिया गया है तथा स्टोर में जमा करवा दिया गया है तथा कम्प्यूटर्स/प्रिन्टर्स सुचारु रुप से कार्य कर रहे है।"
8. बोलीदाता को शिकायत के 24 घन्टे के अन्दर –अन्दर अपने प्रतिनिधि /इन्जीनियर को अनिवार्य रुप से आयोग में भेजकर कम्प्यूटर्स / प्रिन्टर्स को ठीक करने के लिए सेवा देनी होगी। बोलीदाता द्वारा किसी दिन प्रतिनिधि /इन्जीनियर संबंधित आयोग में नही भेजने पर नियमानुसार कटौती कर ली जावेगी। बोलीदाता द्वारा समय पर शिकायत का समाधान करने हेतु प्रतिनिधि /इन्जीनियर नही भेजने की स्थिति में यदि आयोग से सेवाएं ली जाती है, तो व्यय की गई राशि की वसूली बोलीदाता से की जावेगी।
9.कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 5,000/–का डी0डी0 "सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर" के नाम से जमा करवाना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. बोलीदाता को अपना बिल भुगतान हेतु प्रिन्टेंड बिल पर प्रस्तुत करना होगा, जिस पर नियमानुसार टी. डी. एस. की कटौती की जावेगी तथा बोलीदाता को GST जमा करवाकर चालान की प्रति बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी अथवा GSTदेय नही होने पर बोलीदाता को इस आशय का प्रमाण पत्र आयोग को बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जावेंगी उसमें वैट/जीएसटी या अन्य कर शामिल करते हुए दी जावेगी।
11.बोलीदाता द्वारा कार्य सुचारु रुप से नहीं किये जाने पर आयोग को यह अधिकार होगा कि वह वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से कार्य करवाने के लिये स्वतंत्र होगा तथा हर्जे –खर्चे की राशि बोलीदाता के बिल/धरोहर राशि से वसूल की जा सकेगी। फिर भी कोई राशि बकाया रहती है. तो वैधानिक प्रावधानों के अनुसार उसकी व्यक्तिगत सम्पति से वसूली की जा सकेगी।
12. बोलीदाता को आयकर पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति बिड के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।
13.बोलीदाता को कम्प्यूटर्स / प्रिन्टर्स का रख –रखाव का बिल प्रति तीन माह मे प्रस्तुत करना होगा। बिड राशि का भुगतानबोलीदाता को नियमानुसार आनलाइन किया जायेगा।
14. सफल बोलीदाता को अपने इन्जीनियर्स एवं मैकेनिक की सूची तथा उनके दुरभाष न0 कार्यालय में उपलब्ध करावाने होगे। आवश्यकता पडने पर तुरन्त सर्विस दी जावेगी तथा आवश्यक हुआ तो स्टेण्ड बाई स्टेण्ड की व्याख्या की जावेंगी।
15. कम्प्यूटर एवं इससे सम्बधित उपकरणों के वार्षिक रख–रखाव व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आयोग अपने स्तर से किसी अधिकारी को मेन्टीनेन्स कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवश्यक दिशा निर्देश पृथक से जारी कर सकेंगें।

हमें उक्त एवं संलग्न शर्ते मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(मय नाम,सील एवं मो0 न0 सहित)

राजस्थान राज्य सूचना आयोगG.S.T.IN-08JPRR04309E1D9

ओ0 टी0 एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड, जयपुर –302017
(फोन नं 0141–2719136)

16. निर्धारित तिथि के पश्चात् बिड को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पाास सुरक्षित होगा।
17. वार्षिक रख –रखाव की दरें होगी,किन्तु प्रिन्टर हैड, कारटेज, मोडम, नोब, रिबिन, यूपीएस बैटरी, सीडी रोम, सीडी राईटर, कोम्बो ड्राइव रबर एवं प्लास्टिक आईटम एएमसी मे कवर नही होगें। वर्तमान में आयोग के विभिन्न कार्यालयों आदि में लगे कम्प्यूटर, प्रिन्टर, लेजर प्रिन्टर का विवरण संलग्न सूची में है, जो इस संविधा का भाग होगें। संख्या में कमी/बेशी सम्भव है।
18.बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये प्रतिनिधि /इन्जीनियर को आयोग का कर्मचारी नहीं माना जावेगा एवं इन्हे आयोग क़ी ओर से किसी प्रकार का वेतन देय नही होगा ।
19. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 7 बोली लगाने वालो की अर्हताऐं के उप बिन्दु 2 के अन्तर्गत –(ग) बोली लगाने वाला दिवालिया, रिसीवर के अधीन शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नही कर रहा होगा, न किसी न्यायलय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यालय रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलम्बित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाही के अध्यधीन होगा।
(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के आरम्भ के पूर्ववती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे मे मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्व हुए है, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथ निरर्हित हुए है।
(ड)ऐसे हित, जो पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जायें के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगा, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रुप मे प्रभावित करें।
20. विवाद की स्थिति मे सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा, जो बोलीदाता को मान्य होगा।
उपरोक्त निविदा से संबंधित शर्ते मैनें/हमने पढ ली है और यह शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है।

21–ए एम सी व कम्प्यूटर व प्रिन्टर के पार्टस की दरें annexure - A में प्रस्तुत करनी होगी।

हमें उक्त एवं संलग्न शर्ते मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(मय नाम,सील एवं मो0 न0 सहित)

राजस्थान राज्य सूचना आयोग **G.S.T.IN-08JPRR04309E1D9**

ANNEXURE -A

Computer & printers AMC rate & spare parts rates

S.No.	Description	Qty.	Rate
1.	Desktop P- IV Computers along with Local Area Networking	30	
2.	Laser Printer A4 size	28	

Spare Parts:-

S.No.	Particulars	Rate Inclusive G.S.T.
1.	Teflon	
2.	*Pressure Roller*	
3.	Paper pickup roller	
4.	Drum	
5.	PCR	
6.	Magnet Roller	
7.	Blade	
8.	Wiper Blade	
9.	Tonner Riffle RICOH	
10.	Tonner Riffle of different printer	
11.	Mouse HP, Dell, USB	
12.	UPS Battery Exide	
13.	Key Board HP, Dell	
14.	SMPS	

Antivirus:-

16.	Quick Heal Pro- Single	
17.	Quick Heal Pro- Multi	
18.	Quick Heal Internet Security- Single 1year	
19.	Quick Heal Internet Security- Multi	
20.	Quick Heal Total Security- Single	
21.	Quick Heal Total Security- Multi	

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान राज्य सूचना आयोगG.S.T.IN-08JPRR04309EID9

23.	HP 1020 new printer tonner	
24.	Ward WIZ internet security single	
25.	Ward WIZ internet security mulity	
26.	Total security essential plues	
27.	Tenda S port switch	
28.	Connector	
29.	TVS Gold USB Key Board	
30.	Chip	
31.	RAM DDR -2=2GB	
32.	RAM DDR -3=4GB	
33.	RAM DDR -4=4GB	
34.	Seagate 500 GB HDD	
35 .	LAN cable cat 6	
36 .	HP Cartridge 100 a Riffiling	
37.	HP Cartridge 100 a Drum	
38 .	HP Cartridge 100 a Chip	
39 .	HP Cartridge 100 a Magnet	
40.	HP Cartridge 100 a PCR	

बोलीदाता के हस्ताक्षर